

बदलता ग्रामीण परिवेश



अलौने चंद्रशेखर त्रिंबक

हिंदी विभाग, राजीव गांधी महाविद्यालय, करमाड, ता.जि. औरंगाबाद, महाराष्ट्र, भारत,

सारांश:- परिवर्तन सृष्टी का नियम है । गाँव आजादी के बाद जलद गती से बदल रहा है । गाँवों की सामाजिक संरचना एक नये सामाजिक जीवन का स्वीकार कर रही है । गाँवों की परिवार संस्था, जातिसंस्था, अर्थसंस्था, राजकीय संस्था, धर्मसंस्था, शिक्षा व्यवस्था, मनोरंजन के साधन एवं जीवन मूल्य बदल रहे हैं । इसी बदलाव को यहाँ परखने का प्रयास किया है ।

प्रस्तावना :

त्रि.ना. अत्रे गाँव की परिभाषा देते हुए कहा है -

"तथा शुद्रजनप्राया सुसमृद्धकृषीवला ।

त्रोपभोगभूमध्ये वसतिग्रमिसंज्ञिता ।।"^१

अर्थात् कृषियुक्त जमीन के बीचोबीच गाँव होता है और गाँव में किसान और निम्न जाति के लोग समुह बनाकर रहते हैं । प्रस्तुत परिभाषा दो बातों की ओर ध्यान आकर्षित करती है १) कृषियुक्त जमीन के बीचोबीच गाँव का बसा होना और २) जातिव्यवस्था का अस्तित्व । अर्थात् गाँवों में खेती व्यवसाय का प्रभाव है और सामाजिक जीवन जातिव्यवस्था में विभाजित है । प्रस्तुत परिभाषा में गाँव का बाह्यपक्ष और अंतरिपक्ष का उल्लेख दिखाई देता है ।

समग्र रूप से ग्रामीण परिवेश को समझते हुए हम कह सकते हैं कि कृषि व्यवसाय की प्रधानता, प्रकृति से निकटता, किसान एवं निचले जाति के लोगों का अस्तित्व, विविध सामाजिक संस्थाओं पर आधारित लोक जीवन आदि बातें आती हैं । विविध संस्थाओं में आ रहे बदलाव को देख बदलते ग्रामीण परिवेश को यहाँ समझना चाहा है ।

संशोधन पद्धति

प्रस्तुत शोध आलेख विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धति द्वारा लिखा गया है ।

बदलता ग्रामीण परिवेश

परिवार संस्था में परिवर्तन :

परिवार अर्थात् माता-पिता और बच्चों के समूह का नाम है । भारतीय परिवार संस्था की बात जब सामने आती है तो संयुक्त परिवार संस्था से ही उसका अर्थ लिया जाता है । भारतीय परिवार संस्था अर्थात् संयुक्त परिवार संस्था ऐसा समीकरण ही बना है । इसके पहले हमने देखा कि गाँव का पारिवारिक जीवन संयुक्त है । संयुक्त परिवार व्यवस्था भारतीय ग्रामीण समाज जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है । लेकिन आज संयुक्त परिवारों का विघटन तेज गति से हो रहा है । संयुक्त की जगह पर विभक्त परिवार व्यवस्था का निर्माण ग्रामीण समुदायों में होता हुआ दिखाई दे रहा है । आज पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण आदि के कारण संयुक्त परिवार में पायी जानेवाली आत्मियता नष्ट हो रही है, पारिवारिक कर्तव्य एवं अभिमान की भावना में कमी आ रही है ।

संयुक्त परिवार में पारिवारिक सदस्यों को मानसिक, अध्यात्मिक, आर्थिक, नैतिक संस्कार एवं संरक्षण की शिक्षा परिवार में ही प्राप्त होती थी । परिवार में ही स्व का विकास होता था । असफलता को सह लेने की क्षमता उसमें आ जाती थी । लेकिन आज संयुक्त परिवारों की जगह विभक्त परिवार ने ली है । व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ने की प्रक्रिया भी यही से शुरू हुई ।

संयुक्त परिवार मानव के सहजीवन का आदर्श नमूना है । सहजीवन से आत्मिक विकास, आत्मिक विकास से समूह भावना का विकास होता है और समूह भावना से राष्ट्रीय एकता का विकास होता है । संयुक्त परिवार इसी शृंखला का आधारस्तंभ है ऐसा हम मान सकते हैं लेकिन विविध कारणों की वजह से आज यह आधारस्तंभ विभाजित होता रहा है । आज गाँवों में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार हुआ लेकिन इससे सहजीवन में सुधार होने की बजाय सहजीवन का ह्रास हुआ है । आज ग्रामीण समुदायों में संयुक्त परिवार का स्थान विभक्त परिवार में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है ।

जातिसंस्था में परिवर्तन :

जातिव्यवस्था के संदर्भ में विविध विद्वानों ने अपनी परिभाषाएँ दी हैं । जाति की परिभाषा देते हुए अमरिणी मानवशास्त्री जीबर कहते हैं, "जाति एक एथनिक या सांस्कृतिक इकाई का अन्तर्वैवाहिक और वंशानुक्रमण समूह है । इसका ऊँचा या नीचा स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर निर्धारित किया जाता है।"² जीबर के अनुसार जाति वंशगत होती है । जन्म से प्राप्त होती है और जाति के अनुसार ही व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है । मतलब व्यक्ति के कर्तृत्व को यहां पर कोई स्थान दिखाई नहीं देता । आगे समाज वैज्ञानिक मदन और मजुमदार जाति को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि, "जाति एक बंद वर्ग है"³ यहाँ बंद वर्ग से तात्पर्य है व्यक्ति स्वतंत्रता का अभाव । आगे जी. एस. घुरिये जाति की व्याख्या मानववंश के संदर्भ में करते हैं और उन्होंने जाति के निम्न लक्षण दिये हैं इ

१) समाज का खण्डीय विभाजन

२) सोपानीय व्यवस्था

३) पान-पान और सामाजिक संसर्ग पर प्रतिबंध

४) विभिन्न जातियों के धार्मिक और अन्य संबंधित नियोग्यता और विशेषाधिकार

५) व्यवसाय के स्वतंत्र चयन पर प्रतिबन्ध और

६) विवाह पर प्रतिबंध ।"⁴

धुरिये की परिभाषा में भी जाति संकुचित समुदाय ही समझा गया है। यहाँ व्यक्ति स्वतंत्रता को महत्त्व नहीं, ना ही व्यक्ति की रूचियों को महत्त्व। सोपानीय व्यवस्था के कारण ऊँच-नीच की भावना और इसी में से शोषण की शुरुआत होती है।

आगे जाँन जैसे विद्वानों ने जाति को शोषण की व्यवस्था माना है। जाति व्यवस्था में ब्राह्मण जाति का वर्चस्व हमेशा ही बना रहा है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप में ब्राह्मण जाति ने अन्य जातियों का शोषण किया दिखाई देता है। शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार के कारण, कुछ समाजसुधारकों के कार्यों के कारण आज इस स्थिति में परिवर्तन नजर आ रहा है। जातिव्यवस्था प्रमुखतः खान-पान, पवित्र-अपवित्र, विवाह विषयक नियमों का कड़ा पालन करती दिखाई देती थी लेकिन आज इस स्थिति में परिवर्तन हुआ है। सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के प्रभाव के कारण आज प्रेमविवाह, अंतरजातीय विवाह, खान-पान में सार्वजनिकता आदि बातें दिखाई दे रही हैं। जातिव्यवस्था के नियम आज शिथिल हैं। आज छुआछूत की भावना कम हुई है। आज मंदिर प्रवेश सभी जाति के लोगों के लिए मुक्त हुआ है। सार्वजनिक कार्यों में सभी जाति के लोग एकत्रित कार्यरत दिखाई दे रहे हैं। जातिव्यवस्था धीरे-धीरे नष्ट होकर वर्ग व्यवस्था में तबदील होते हुए दिखाई दे रही है। व्यक्ति के स्वकर्तृत्व को महत्त्व प्राप्त हो रहा है जिस कारण कोई भी व्यक्ति आसानी से निम्न वर्ग से उच्चवर्ग में प्रवेश करता दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से अनेक स्तरों पर जातिव्यवस्था में परिवर्तन हुआ है।

आर्थिक जीवन में परिवर्तन :

भारत गाँवों का देश है और ७० प्रतिशत लोग आज भी गाँवों में स्थित है। और हमने यह भी देखा है कि गाँव के आय का मूल स्रोत खेती है। गाँवों में खेती आधारित अन्य व्यवसाय दिखाई देते हैं। स्वतंत्रतापूर्व काल में पारंपारिक पद्धति से खेती करने की पद्धति थी लेकिन आज आधुनिकीकरण व यांत्रिकीकरण के प्रभाव के कारण खेती में नये-नये प्रयोग किये जा रहे हैं। खेती के लिए आधुनिक तंत्र-यंत्र का उपयोग किया जा रहा है। आज खेती विकास हेतु पंचवार्षिक योजनाओं में विशेष बातों का ध्यान दिया जा रहा है। किसी भी व्यवसाय को पूंजी की आवश्यकता होती है स्वतंत्रतापूर्व और उसके बाद भी भारत में साहूकारी प्रथा की अस्तित्व दिखाई देता था। साहूकारों ने हाथों में खेती की वृद्धि को बेरहमी से लुटा जाता था। लेकिन आज बैंकिंग क्षेत्र का विकास होने के कारण खेती की आवश्यक पूंजी के लिए विविध ऋण योजनाओं की कार्यान्विति दिखाई देती है। आपातकाल में सरकार द्वारा ऋण माफी, ऋण में सबसिडी द्वारा छूट, कम ब्याज पर पूंजी उपलब्ध करा देना आदि सुविधाएँ उपलब्ध है। परिणाम स्वरूप खेती सुधार में सहायता होकर गाँवों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन होता हुआ नजर आता है। यांत्रिकीकरण ने खेती के लिए बहुत सारी यंत्रसामग्री उपलब्ध करा दी है - ट्रैक्टर, छिड़काव यंत्र, इतर यंत्र, आधुनिक बैलगाड़ी, पानी का विद्युत पंप आदि। जिस कारण खेती का उत्पादन बढ़ने में मदद हुई है। यंत्रसामग्री के साथ-साथ सुधारित बीज, रासायनिक खाद के विकास के कारण भी खेती उत्पादन में बढ़त हुई है। परिणाम स्वरूप गाँवों के आर्थिक जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन हुआ है। परम्परासे चला आ रहा खेती के प्रति का दृष्टिकोण व्यावसायिक बनता जा रहा है। आज किसान खेती को व्यवसाय मानने लगा है। वह खेती व्यवसाय में देववादी न रहकर कर्मवादी बनता जा रहा है। प्राकृतिक अपदाओं पर मात करने की कला को वह अवगत कर चुका है। इससे ग्रामीण आर्थिक जीवन में परिवर्तन हुआ है।

राजकीय जीवन में परिवर्तन :

स्वतंत्रतापूर्व के समय में गाँवों में राजनीति का नाम एक अलग अर्थ में लिया जाता था। ग्रामीण राजकीय जीवन धनी एवं उच्चवर्णियों में सिमटा हुआ था। गाँव के विकास के संदर्भ में मुखिया या पंचायत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। आम आदमी को भी गाँव का प्रमुख पद मिलना प्रारंभ हुआ। भारतीय संविधान लोकशाही शासन प्रणाली की पुरस्कर्ता है जिस कारण समाज के सभी जाति वर्ग के लोगों को चुनाव में शामिल होने का मौका मिला। परिणाम स्वरूप परम्परागत राज्यव्यवस्था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद धीरे-धीरे नष्ट होती हुई दिखाई देने लगी। आज सरपंच, पुलिस पटेल, ग्रामसेवक, तलाठी आदि नये पदों का निर्माण गाँव के राजकीय जीवन में दिखाई देने लगा। जातिपंचायत का स्थान ग्रामपंचायत ने लिया। परिणाम स्वरूप गाँव के विकास के संदर्भ में ग्रामपंचायत एवं उसके पदाधिकारी लोगों का महत्त्व बढ़ता गया। आज भारतीय राज्यघटना ने प्रौढ़ मतदान पद्धति का

स्वीकार किया, अपना नेता चुनने का अधिकार आम आदमी को मिला अकार्यक्षम नेता को पद से हटाने का अधिकार आम आदमी को मिला । इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि गाँव का राजकीय जीवन बहुत हद तक परिवर्तित हुआ दिखाई देता है ।

धार्मिक जीवन में परिवर्तन :

गाँव की संस्कृति का मूल आधार धर्म दिखाई देता है । लेखक नरेंद्र मोहन धर्म पर अपने विचार प्रकट करते हुए अपनी पुस्तक में मीमांसादर्शन की परिभाषा का संदर्भ देते हुए कहते हैं कि, "धारयते इति धर्मः"⁴ अर्थात् जिससे समाज का कल्याण हो, समाज का उद्धार हो, जिससे प्राणिमात्र का अभ्युदय हो, उसका निःश्रेयस हो वही धर्म है । यही महान धारणा गाँव के धर्म के मूल में थी यह दिखाई देता है । व्यक्तिविकास के साथ-साथ समाज विकास धर्म का प्राणतत्त्व था । लेकिन आज सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के प्रभाव के कारण धर्म अपनी वास्तविक पहचान खोता रहा है । धर्म के नाम पर आज चुनाव हो रहे हैं, धर्म का नाम पर समाज की आर्थिक लूट हो रही है । समाज के कुछ लोग धर्म का सहारा लेकर अपने निजी स्वार्थ पूर्ण कर रहे हैं । इसे धार्मिकता हम कह नहीं सकते । धार्मिकता क्या है इसे समझते हुए लेखक नरेंद्र मोहन कहते हैं - "धार्मिकता का वास्तविक अर्थ है, अंतस का रूपांतरण, अंतस्त के कलुष का विनाश, मतभेदों का अंत और समग्रता में जीना अर्थात् समष्टि को पहचानना ।"⁵ अर्थात् इसके अलावा यदि धर्म कुछ है तो वह अधार्मिकता ही हो सकती है । लेकिन आज हम देखते हैं कि धार्मिकता का लोप हो रहा है और समाज विविध सामाजिक समस्याओं से पीड़ित दिखाई दे रहा है ।

शैक्षिक जीवन में परिवर्तन :

ग्रामीण समाज जीवन स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और कुछ हद तक स्वतंत्रता के बाद धार्मिक शिक्षा तक सीमित दिखाई देता था । अनौपचारिक शिक्षा का प्रभाव जादा था । किसान के बेटे किसानी सिखते थे । गाँवों में वर्णव्यवस्था दिखाई देती थी । वर्णव्यवस्था के माध्यम से अगली पीढ़ी को व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी । लेकिन आज अनौपचारिक शिक्षा की जगह औपचारिक शिक्षा ने ली है । भारतीय संविधान ने सभी जातिधर्म के लोगों को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त करा दिया है । परिणाम स्वरूप गाँव गाँव में आज प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक, महाविद्यालयीन, आय.टी.आय., कम्प्युटर शिक्षा, टेक्नीकल शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कर दी है । आज गाँव के नवयुवक परम्परा से आये अपने व्यवसाय को छोड़कर नये व्यवसाय में कदम रख रहे हैं । आज गाँव की लड़कियाँ भी पढ़लिखकर अपने अस्तित्व की पहचान बना रही हैं । परिणाम स्वरूप गाँवों का युवावर्ग एक नये शैक्षिक जीवन का स्वीकार सहर्ष करते हुए दिखाई दे रहा है । आज ब्राम्हण हो या शूद्र हो, उनके बेटे डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, प्राध्यापक आदि पदों के हकदार बन रहे हैं । यह सारा परिवर्तन बदलती शिक्षा के कारण ही है ऐसा हम कह सकते हैं ।

मनोरंजन के साधनों में परिवर्तन :

ग्रामीण समुदाय पर परम्परागत मनोरंजन के साधनों का प्रभाव दिखाई देता है । ग्रामीण समुदाय में मनोरंजन का प्रमुख केंद्र परिवार था । संयुक्त परिवार पद्धति में सभी प्रकार के मनोरंजन की सुविधा पारिवारिक सदस्यों के लिए होती है खास कर धार्मिक कार्यों में जैसे त्यौहार, उत्सव, शादी, बरसी, उपवास आदि के द्वारा पारिवारिक सदस्यों का भरपूर मनोरंजन होता था लेकिन इसे धार्मिक अधिष्ठान प्राप्त होने के कारण यह मनोरंजन न मानते हुए इसे धार्मिक उत्तरदायित्व मानने की प्रथा गाँवों में दिखाई देती है । परिवार के बाहर जाकर हम यह कह सकते हैं कि, भजन, कीर्तन, लोकगीत, लोककला, सामुदायिक धार्मिक उत्सव आदि के द्वारा भी गाँव के सदस्यों का मनोरंजन होता था और आज भी होता है । लेकिन आज इन पारंपारिक मनोरंजन के साधनों में परिवर्तन आ रहा है । आज पारंपारिक मनोरंजन के साधनों की जगह आधुनिक मनोरंजन के साधनों ने ली है । आज विज्ञान तंत्रविज्ञान ने मनोरंजन के साधनों में बहुत बड़े परिवर्तन किये हैं । आज दृक, दृकश्राव्य, श्राव्य, मुद्रित साधनों के द्वारा गाँव के लोगों का भरपूर मनोरंजन होता हुआ दिखाई देता है । इन

मनोरंजन के साधनों में रेडिओ, टि.व्ही., अखबार, सांस्कृतिक अत्याधुनिक मंच आदि बातों को महत्त्व मिल रहा है। सारांश यह कि गाँवों में मनोरंजन के साधनों में परिवर्तन आया है।

जीवन मूल्यों में परिवर्तन :

ग्रामीण जीवन की संस्कृति को हम मूल्यधृष्टित संस्कृति मानते हैं। ग्रामीण जीवन में बहुत सारे मूल्य दिखाई देते हैं, उनमें प्रमुख हैं - अहिंसा, सत्य, प्रेम, त्याग, अपरिग्रह, संवेदनशीलता, भूतदया, प्राणीमात्राओं पर प्रेम करना, प्रकृतिप्रेम, मानवप्रेम आदि लेकिन संक्रमणशीलता के कारण इनमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, भोगवादी विदेशी संस्कृति के प्रभाव ने गाँव के इन मूल्यों पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिये हैं। भोगवादी विदेशी संस्कृति आस्था, प्रेम को तोड़ती मरोड़ती दिखाई देती है। आज ग्रामीण जीवन मूल्य परिवर्तित होकर, भोग, हिंसा, असहिष्णुता, परिग्रहवृत्ति, प्राणीहत्या, कृतघ्नता में बदल रहे हैं।

निष्कर्ष :

इसमें हमने देखा कि गाँव संक्रमणशीलता के कारण बदल रहे हैं। गाँव की पारिवारिक संस्था, जातिसंस्था, अर्थसंस्था, राजकीय संस्था, धर्मसंस्था, शिक्षासंस्था एवं मनोरंजन के क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। हम देखते हैं कि परिवर्तन के परिणाम निश्चित होते हैं लेकिन इन्हीं परिणामों की सकारात्मकता एवं नकारात्मकता संबंधित परिवेश की संरचना पर आधारित होती है। यह संरचना परिवर्तन के प्रवाह को स्वीकारती है तो निश्चित ही परिवर्तन के परिणाम सकारात्मक दिखाई देते हैं इसके विपरीत संरचना परिवर्तन के प्रवाह को अस्वीकार करती है तो नकारात्मकता का विकास होना स्वाभाविक होता है। और इसी परिणामों को समझने की कोशिश समाज का हर सदस्य करता है। उसकी वह कोशिश उसके व्यक्तित्व को जन्म देती है। परिणाम स्वरूप परिवर्तित सामाजिक संरचना के सांचे में व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार मिलता है।

संदर्भ :

1. गाँवगाडा - त्रि.ना. अत्रे, पृ. १
2. भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन - ए.एल. शर्मा, पृ. ४८
3. भारतीय समाजरचना पारंपारिक व आधुनिक - डॉ. प्रकाश बोबडे, पृ. १७१
4. भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन - ए.एल. शर्मा, पृ. ५१
5. भारतीय संस्कृति - रेंद्र मोहन, पृ. १३७
6. वही, पृ. १४०



अलोन चंद्रशेखर त्रिबक

हिंदी विभाग, राजीव गांधी महाविद्यालय, करमाड, ता.जि. औरंगाबाद, महाराष्ट्र, भारत,